

एनपीपीए ने कीमतों की जानकारी मांगी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय दवा कीमत नियामक एनपीपीए ने कुछ चिकित्सा उपकरण कंपनियों से कतिपय ओर्थोपेडिक इम्प्लांट की कीमतों में तीन साल में आए बदलाव की जानकारी मांगी है। राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन कंपनियों के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि चिकित्सा उपकरण दवा कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के दायरे में नहीं आते हैं। एनपीपीए ने इन कंपनियों को एक सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले 15 मई 2015 को अपने आदेश में एनपीपीए ने स्पष्ट किया था कि डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के तहत गैर अनुसूचित फार्मलेशंस की निगरानी का अधिकार मिलता है।